

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—1142/2013

संस्थित दिनांक—04.12.2013

फाईलिंग क.234503003322013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

प्रमोद गुप्ता पिता सुखचंद गुप्ता, उम्र—34 वर्ष,

साकिन—ग्राम पौनी, थाना—मलाजखण्ड,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—11/09/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा—5/9 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—01.11.2013 को 7:55 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम पौनी में अपनी दुकान के सामने, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ पटाखा लक्ष्मी बम, फुलझड़ी एवं अन्य पटाखों को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से अपने कब्जे में रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—01.11.2013 को थाना मलाजखण्ड में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश रंगारी हमराह स्टाफ उपनिरीक्षक कमल पंवार, सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र उपाध्याय, आरक्षक क्रमांक—317 एवं अधिग्रहण वाहन के कस्बा भ्रमण एवं दिपावली ड्यूटी व्यवस्था हेतु रवाना हुआ था कि भ्रमण के दौरान ग्राम पौनी में आरोपी प्रमोद गुप्ता पिता सुखचंद गुप्ता अपनी दुकान के सामने अवैध रूप से बिक्री करने हेतु पटाखे रखे हुए पाया गया। उक्त पटाखे रखने के संबंध में लायसेंस का पूछे जाने पर आरोपी ने लायसेंस नहीं होना बताया। सभी प्रकार के पटाखे कीमती 430/—रूपये साक्षियों के समक्ष आरोपी से जप्त कर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक—150/2013 अन्तर्गत भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा—5/9 के

अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा-5/9 के अन्तर्गत अपराध विवरण तैयार कर आरोपी को पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-01.11.2013 को 7:55 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम पौनी में अपनी दुकान के सामने, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ पटाखा लक्ष्मी बम, फुलझड़ी एवं अन्य पटाखों को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से अपने कब्जे में रखा ?

: : विचारणीय बिन्दु का निराकरण : :

5— अनुसंधानकर्ता अधिकारी मुकेश रंगारी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक-01.11.2013 को वह थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह अपने स्टॉफ के साथ ग्राम पौनी एवं मोहगांव की ओर ग्राम गश्ती पर था, तो उसने देखा कि आरोपी प्रमोद गुप्ता अपनी दुकान के सामने फटाखे रख कर बिक्री कर रहा था। उसने उसे फटाखा रखकर बेचने के संबंध में लायसेंस के बारे में पूछे जाने पर उसने लायसेंस नहीं होना बताया था। आरोपी प्रमोद गुप्ता से साक्षी तेजपाल एवं अर्जुन वर्मा के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फिर थाना वापस आकर की गई कार्यवाही का खुलासा डायरी इंट्री नंबर 49(ए) दिनांक-01.11.13 को 08:50 बजे इंड्राज किया था। उक्त सान्हा की असल प्रति प्रदर्श पी-5, भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान साक्षी अर्जुन वर्मा एवं तेजपाल के कथन लेख किया था।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षीगण के समक्ष आरोपी से फटाखे जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने साक्षीगण के कथन अपने मन से लेख किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं हुआ है। साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा मामले में संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही कर प्राथमिकी भी उसके द्वारा ही लेख की गई है। ऐसी दशा में जहां की अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने मामले में संपूर्ण कार्यवाही स्वयं अकेले ने की है, वहां उसकी कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक होता है।

7— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत जप्ती कार्यवाही के साक्षी तेजपाल सिंह (अ.सा.1), अर्जुन वर्मा (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि उनके सामने आरोपी प्रमोद गुप्ता से कोई जप्ती कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को ए.डी.पी.ओ. द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु उक्त दोनों साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे कि अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो। ऐसी दशा में मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने हेतु निर्भर है।

8— अनुसंधानकर्ता अधिकारी मुकेश रंगारी (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने स्वयं मामले में रिपोर्ट दर्ज किया है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने अनुसंधानकर्ता अधिकारी के रूप में प्रकरण में जप्ती, गिरफ्तारी एवं फरियादी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है और संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की गई है। ऐसी दशा में संपूर्ण कार्यवाही अकेले के द्वारा आरोपित मामले जैसे अपराध में की हो, वहां उसकी कार्यवाहियों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता होना आवश्यक है तथा ऐसी कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है।

9— जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। जप्ती अधिकारी के द्वारा मौके पर रवाना होने एवं वापसी के संबंध में रोजनामचासान्हा दर्ज किया जाना अपनी कार्यवाही के निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पूर्ण साबित किए जाने हेतु आवश्यक था, जिसे अभियोजन ने प्रकरण में पेश नहीं कर प्रमाणित नहीं किया है। प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री को न्यायालय के समक्ष पेश भी नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित

विस्फोटक सामग्री का आरोपी द्वारा विक्रय किये जाने के संबंध में किसी भी साक्षी ने देखा नहीं है और न ही ऐसी सामग्री आरोपी से जप्त किये जाने के संबंध में जप्ती के साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन किया है। ऐसी दशा में सामग्री जप्त किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। मात्र जप्ती अधिकारी की संदेहास्पद कार्यवाही के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है।

10— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपने आधिपत्य में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ पटाखा लक्ष्मी बम, फुलझड़ी एवं अन्य पटाखों को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से अपने कब्जे में रखा। अतः आरोपी प्रमोद गुप्ता को भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा—5 सहपठित धारा—9 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा फटाखे रक्षित केन्द्र बालाघाट में जमा हैं। अतएव अपील अवधि पश्चात् उक्त संपत्ति का विधिवत् निराकरण करने हेतु रक्षित केन्द्र बालाघाट को सूचित किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट